फाइल सं.12027/02/2024.रा.भा.(का-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

****

'बी' विंग, चतुर्थ तल,
नई दिल्ली, एनडीसीसी-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 26 .09.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति राशि के संबंध में।

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अब नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों पर होने वाले खर्च के संबंध में प्रतिपूर्ति की राशि में बढ़ोतरी करके निम्नानुसार स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

नराकास के सदस्य कार्यालयों की संख्या	**प्रति बैठक प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि**	**वर्ष में दो बैठकों के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि**
10-50 तक	5,850/-रु.	11,700/-रु.
51-100 तक	7,150/-रु.	14,300/-रु.
101 से अधिक	8,206/-रु.	16,412/-रु.

2. केवल बैंकों तथा केवल उपक्रमों की नराकासों को विगत की भांति बैठकों पर व्यय के लिए प्रतिपूर्ति राशि नहीं दी जाएगी।

3. यह स्वीकृति आंतरिक वित्त-4, गृह मंत्रालय की दिनांक 28.08.2024 की डायरी संख्या 3704700 पर दी गई सहमति के अनुसार जारी की जा रही है।

4. उक्त दरें 01 अक्टूबर, 2024 तथा इसके बाद होने वाली बैठकों के लिए प्रभावी होगीं।

अनिल कुमार

(अनिल कुमार)
उप सचिव (का.)

प्रतिलिपिः-

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी, वेतन एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय), गृह मंत्रालय, प्रथम तल, रेयर ब्लॉक, जीवन विहार बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
2. आंतरिक वित्त-4, गृह मंत्रालय
3. वित्त सलाहकार, गृह मंत्रालय
4. राजभाषा विभाग के सभी (08) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार
5. वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार, एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

*****